वापिस लौटाई
फैसल दिनांक 11/6/2018

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

सेवाराम बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 29 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.6.2018	वकील अपीलार्थी श्री विष्णु दत्त शर्मा उपस्थित। इन्हें बहस एडमिशन पर सुना गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1945 दिनांक 15.2.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार सीकर द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत दर्ज नहीं किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 1945 विवादित (कन्टेस्टेड) नामान्तरकरण की श्रेणी में नहीं आता है। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(1) के अन्तर्गत तस्दीक किया गया है, जो तहसीलदार की हैसियत से तस्दीक किया गया है न कि भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से तस्दीक किया गया है। धारा 135(1) के अन्तर्गत तस्दीक किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। ऐसे नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर व अतिरिक्त जिला कलक्टर को है। इसलिये यह अपील अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। दि0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	